POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.07.2025

1. थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा संगठित रूप में फर्जी कॉल सेन्टर चलाकर गूगल ऐप के माध्यम से विदेशी लोगो का डाटा खरीदने व उनको लोन देने के नाम पर टेलीग्राम व स्काईप ऐप के माध्यम से कॉल करके व गिफ्ट कार्ड भेजकर धोखाधडी से पैसा लेने वाले कुल 12 अभियुक्त (10 अभियुक्त और 02 अभियुक्ता) को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 लेपटॉप, 16 मोबाईल फोन, 09 लैपटॉप चार्जर, 09 हैड फोन, 05 की बोर्ड, 05 माउस, 01 इंटरनेट राउटर, 01 आई फोन चार्जर बरामद।

कार्यवाही का विवरण - थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा दिनांक **15.07.2025** को जेपी कोसमोस बिल्डिंग के टावर केएम 7 के 17 वे तल के फ्लैट में 12 लोगों द्वारा ऑफिस चलाकर विदेशो में बैठे लोगो का गूगल ऐप के माध्यम से डाटा खरीदते है व विदेशी नागरिको को लोन देने के नाम पर टेलीग्राम व स्काईप ऐप के माध्यम से कॉल कर लोन देने के नाम पर व गिफ्ट कार्ड भेजकर ठगी करते है। पर्याप्त साक्ष्य व बरामदगी के आधार पर 10 अभियुक्तों - 02 अभियुक्ता सहित कुल 12 अभियुक्तों को **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका -- पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा फर्जी कॉल सेंटर का जेपी कोसमोस बिल्डिंग के टावर केएम 7 के 17 वे तल के फ्लैट में संचालन किया जा रहा था, यह लोग गूगल ऐप के माध्यम से डाटा खरीदते है जिसका ये लोग पैमेन्ट यूएसडीटी में यू0एस0 के लोगो को करते है जो डिजिटल करंसी या गिफ्ट वाउचर में होता है। मैसेज में नाम व मोबाईल नं0 आवश्यकतानुसार चेंज करते है। जिस व्यक्ति को लोन की जरूरत होती है व या तो इनको यस का मैसेज भेजता है या इनके द्वारा दिये गये नम्बर पर कॉल करता है। फिर ये उससे लोन कराने के लिए 300(डालर) की मांग करते है। अगर उसके पास पैसा होता है तो ये लोग उससे पैसा एप्पल ई-बाई, वालमार्ट गिफ्टकार्ड के माध्यम से पैमन्ट प्राप्त कर लेते है। यदि उसके पास पैसा नही होता तो उसको ये लोग फर्जी चेक भेजते है और वह व्यक्ति उस चेक का फोटो लेकर अपने अकाउंट में लगा देता है यदि बैंक उसको पैसा पे करता है तो पेमेन्ट उसके अकाउंट में आ जाता है। जिस पैसे को हम गिफ्ट कार्ड के माध्यम से ले लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मुस्तफा शेख पुत्र चाँद बादशाह निवासी धारावी लक्ष्मी चाल प्लाट न0- 217 मुम्बई, हालपता- के.एम 07 फ्लैट न0- 1703 जे.पी कोसमास सेक्टर 134 नोएडा उम्र- 25 वर्ष
2. चिनेवे पुत्र निकीते निवासी ग्राम लोसामी जिला फेक राज्य नागालैण्ड हालपता- किशनगढ दिल्ली उम्र- 22 वर्ष
3. दिनेश पाण्डेय पुत्र रामचन्द्र पाण्डेय निवासी भगत सिंह सरणी पंजाबी पार्क थाना सिलीगुडी जिला दार्जीलिंग प0 बंगाल हालपता- के.एम 07 फ्लैट न0- 1703 जे.पी कोसमास सेक्टर 134 नोएडा उम्र- 49 वर्ष

4. सोहिल अजमिल पुत्र गुलाम हुसैन निवासी प्लाट न0- 1079 सालवी पोल, थाना गैक्वाड हवेली रामखड जिला अहमदाबाद गुजरात , हालपता- के.एम 07 फ्लैट न0- 1703 जे.पी कोसमास सेक्टर 134 नोएडा उम्र- 27 वर्ष
5. उमर सम्सी पुत्र रहमान सम्सी निवासी- प्लाट न0- 119 महाडा मालवानी मलाड वेस्ट मुम्बई उम्र- 44 वर्ष
6. कल्पेस शर्मा पुत्र रामाशीश शर्मा निवासी- प्लाट न0- 15ए विशाल नगर थाना किशनपुर जिला अहमदाबाद गुजरात हालपता- के.एम 07 फ्लैट न0- 1703 जे.पी कोसमास सेक्टर 134 नोएडा उम्र- 34 वर्ष
7. आफताब कुरैशी पुत्र शमशाद कुरैसी निवासी रुम न0- 10 शयान अवेन्यु अपोजित अकबर टावर थाना सरखेज जिला अहमादबाद गुजरात हालपता- के.एम 07 फ्लैट न0- 1703 जे.पी कोसमास सेक्टर 134 नोएडा उम्र- 34 वर्ष
8. विडोव पुत्र साइमन निवासी- कंगला तुम्बी थाना सिगमई जिला कंगपोपी मणिपुर हालपता- के.एम 07 फ्लैट न0- 1703 जे.पी कोसमास सेक्टर 134 नोएडा उम्र- 31 वर्ष
9. राम सेवक पुत्र फूलचन्द निवासी ग्राम पथराही थाना लदनिया जिला मधुबनी बिहार उम्र- 27 वर्ष
10. सत्यनारायण मण्डल पुत्र वचन मण्डल निवासी- विधवास थाना लदनिया जिला मधुबनी बिहार हालपता के .एम 07 फ्लैट न0- 1703 जे.पी कोसमास सेक्टर 134 नोएडा उम्र- 35
11. थिजनो लुटो पुत्री के विसीजा नि गाव रेमीसिंगो जिला सेमिगयू नागालैड उम्र करीब 20 वर्ष
12. निबूले अकामी पुत्री खुदो अकामी नि0 गांव खुवेमी जिला फेक नागालैंड हाल पता के.एम 07 फ्लैट न0- 1703 जे.पी कोसमास सेक्टर 134 नोएडा उम्र- 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 88/2025 धारा 319(2)/318(4) बी.एन.एस/ 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही।

बरामदगी का विवरण--

1. 10 लेपटॉप भिन्न भिन्न कम्पनी के
2. 16 एंड्रॉइड फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के
3. 09 लैपटॉप चार्जर,
4. 09 हेड फोन
5. 05 की बोर्ड व 05 माउस
6. 01 इंटरनेट राउटर
7. 01 आई फोन चार्जर

2. थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा ग्रांइडर गे डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगो के साथ धोखाधडी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुये 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र, फर्जी नम्बर प्लेट लगी 02 मोटरसाईकिल मय 04 फर्जी नम्बर प्लेट, कुल 3200 रुपये नगद व भिन्न भिन्न कम्पनियो के 04 मोबाईल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा दिनांक **15.07.2025** को मदर डेयरी सेक्टर-11 चौराहे पर चैकिंग के दौरान सेक्टर-56 की ओर से दो मोटरसाईकिल पर सवार चार लोग आते हुए दिखायी दिये। जिनमें अभियुक्त मोटर साइकिल टीवीएस राइडर पर 1.अरबाज पुत्र आजाद 2.विशाल कुमार पुत्र सुरेश मण्डल तथा मोटर साइकिल स्पलैण्डर पर 3. उस्मान पुत्र कुद्दस 4. हिमाँशु पुत्र निरजंन सिंह को **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण ग्रांइडर गे डेटिंग ऐप के माध्यम से फर्जी प्रोफाईल बनाकर समलैंगिक सम्बन्ध बनाने के लिये लडको से दोस्ती करते है और उनको सुनसान जगह पर मिलने के लिये बुलाकर उन्हें बातो में उलझाकर अपने जाल में फसाँते है और इनके दूसरे साथी मौके का लाभ उठाकर सम्बन्धित व्यक्ति के मोबाईल, पर्स, नगदी व अन्य कीमती सामान धोखाधडी से लेकर चले जाते है। अभियुक्तगण मोबाईल व अन्य सामान को राह चलते राहगीरो को सस्ते दामो में बेच देते है और उनसे जो पैसे मिलते है उनको अपनी मौज मस्ती पर खर्च कर लेते हैं।

पूछताछ का विवरण -- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो चारो ने बताया कि हम चारो लोगो ने एक गिरोह बनाकर नोएडा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई घटनायें कारित की है। हमारे गैंग का लीडर विशाल है। हम चारो लोगो में बस विशाल ही 11वीं क्लास तक पढा हुआ है बाकि तीनो लोग अनपढ है। हम चारो लोग नशा करने के लिये पार्क में मिलते रहते थे और वही हम लोगो ने इस ऐप के माध्यम से लोगो के साथ धोखाधडी करने की योजना बनायी थी। जो दोनो मोटरसाईकिल टीवीएस राइडर व स्पलैण्डर हमारे से बरामद हुई है उन पर लिखा रजि0 नम्बर फर्जी है। हम लोग कहीं पकडे ना जाये इस डर से फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलते है और यदि मोटरसाईकिल कही छूट जाये तो पकडे जाने से बचने के लिये इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर को मिटा देते है।

अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी घटनाओं का विवरण--

1. दिनांक 09.07.25 को एक लडके को सेक्टर-34 नोएडा के क्षेत्र में उक्त ऐप के माध्यम से फसायाँ था और उससे 25000 रुपये व दो मोबाइल जिसमे एक मोबाइल वीवो व दूसरा मोबाइल मोटोरोला कम्पनी का था, को ले लिया था।
2. बरामद दोनो मोबाइल सेक्टर-34 की घटना के है, बाकी पैसे हमारी मौज मस्ती मे खर्च हो गये है।
3. दिनांक 10.07.25 को हम चारो लोगो ने मिलकर एक व्यक्ति को डेटिंग ऐप के माध्यम से शिकार बनाकर सेक्टर-15 गोल चक्कर नाले के पास सुनसान जगह पर बुलाया था जिससे एक मोबाइल ओपो कम्पनी रंग आसमानी हमने धोखाधडी कर ले लिया था।
4. दिनांक 11.07.25 को एम ब्लाक सेक्टर-11 नोएडा से हमने एक और लडके को उक्त ऐप के माध्यम से दोस्ती कर बुलाया था और उससे मोबाइल फोन वीवो कम्पनी रंग स्लेटी व 5000 रुपये धोखाधडी कर हमने ले लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. अरबाज पुत्र आजाद निवासी झुग्गी झोपडी कालोनी, नियर बैंक ऑफ इण्डिया, सेक्टर-09, थाना फेस-1 नोएडा, जनपद गौतमबुदद्धनगर, उम्र करीब 21 वर्ष
2. विशाल कुमार पुत्र सुरेश मण्डल निवासी सी-77, सेक्टर-4, थाना फेस-1 नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 19 वर्ष
3. उसमान पुत्र कुद्दस निवासी झुग्गी झोपडी नियर बैंक ऑफ इण्डिया, सेक्टर-09 थाना फेस-1 नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 20 वर्ष
4. हिमाँशू पुत्र निरजंन सिंह निवासी हरौला सब्जी मण्डी सेक्टर-05, किराये का मकान के सामने, थाना फेस-1 नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 19 वर्ष

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 301/2025 धारा 317(2)/317(5)/318(4)/338/336(3)/340(2)/345(3) बीएनएस व 9/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 300/2025 धारा 318(4) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 287/2025 धारा 115(2)/352/308(4) बीएनएस थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, अभियुक्त अरबाज से।
2. दो अवैध चाकू, अभियुक्त उस्तान व हिमांशू से
3. फर्जी नम्बर प्लेट लगी 02 मोटरसाईकिल टीवीएस राइडर नं0 यूपी 16 एडी 9632 व स्पलैण्डर नं0 यूपी 16 बीजी 0816 मय चार फर्जी नम्बर प्लेट
4. कुल 3200 रुपये नगद
5. भिन्न- भिन्न कम्पनियो के चार मोबाईल फोन बरामद।

3. थाना ईकोटेक-तृतीय पुलिस द्वारा अवैध गांजे की बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 41 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.07.2025** को **थाना इकोटेक-3** पुलिस द्वारा याम्हा कट से कुलेसरा की तरफ चैकिंग के दौरान 06 व्यक्तियों 1.सारांश श्रीवास्तव पुत्र रंजन कुमार 2.अमनपाल पुत्र संजयपाल 3.शिवम यादव पुत्र बबलू यादव 4.आशीष कुमार झा पुत्र वासुकीनाथ झा 5.कृष्णा राणा पुत्र छुट्टन सिह राणा 6.संजीत गुप्ता पुत्र कमला प्रसाद गुप्ता को **गिरफ्तार** किया गया है। जिनके कब्जे से 41 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। उक्त गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा द्वारा 25 हजार रूपये के ईनाम की घोषणा की गयी है।

अपराध करने का तरीका-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण शिलांग, मेघायल से पार्सल/कोरियर के माध्यम से गांजा मंगवाते थे ताकि आस पास के व्यक्तियों व पुलिस को शक न हो सके। अभियुक्तो से 41 किलो 330 ग्राम अवैध गांजे के आनलाईन/डाक पार्सल के पैकेट बरामद हुए। अभियुक्तगण से गांजा प्राप्त करने के स्रोत और स्थानीय स्तर पर सप्लाई व खरीदारी करने वालो के विरुद्ध भी कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तगण का विवरण--

1. सारांश श्रीवास्तव पुत्र रंजन कुमार निवासी सी-85 शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन जिला गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष
2. अमनपाल पुत्र संजयपाल निवासी ग्राम गुहासी जिला मैनपुरी हाल पता म0न0 255 विवेकानन्द नगर थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
3. शिवम यादव पुत्र बबलू यादव निवासी ग्राम सर्फाबाद थाना सै0 113 नोएडा गौतमबुद्धनगर हालपता गली नं0-01 दौलतपुरा भाटिया मोड थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
4. आशीष कुमार झा पुत्र वासुकीनाथ झा निवासी ग्राम गंगद्वार थाना अन्दराठारी जिला मधुबनी बिहार हालपता ग्राम छिजारसी थाना सै0 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष
5. कृष्णा राणा पुत्र छुट्टन सिह राणा निवासी ग्राम हसनपुर बारू थाना कोतवाली जिला हाथरस हालपता ग्राम छिजारसी थाना सै0 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष
6. संजीत गुप्ता पुत्र कमला प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम जूनापुर थाना सिवान जिला सिवान बिहार हालपता म0न0 638 न्यायखण्ड प्रथम इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम जिला गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 274/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ईकोटेक तृतीय गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

41 किलो 330 ग्राम अवैध गाँजा

4. थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा 02 साइबर अपराधी गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 30/08/2024 को थाना स्थानीय पर लिखित सूचना देकर मु0अ0सं0 88/2024 पंजीकृत कराया था। घटना क्रम के अनुसार वादी की पेटीएम पेमेंट बैंक कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियो द्वारा बैंक खातों में फ्रीज पडी धनराशि को बिना किसी लॉ इनफोर्समेंट एजेन्सी/मा0 न्यायालय की अनुमति/आदेश के फ्रॉड की नियत से अनुचित लाभ ले कर डीफ्रिज कर 29,97,059 रूपये की धनराशि रिलीज कर ली गयी थी।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15-07-2025** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा** पुलिस द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी मुकदमा की कम्पनी (पेटीएम पेमेन्ट बैंक) नोएडा स्थित के कर्मचारी चन्द्रेश राठौर ,तारिक अनवर द्वारा अपने पद व कंपनी की शर्तों का दुरूप्रयोग करते हुए विभिन्न जाँच एजेंसियों द्वारा फ्रीज़/लीन कराए गए पेटीएम पेमेन्ट बैंक के खातों को विभिन्न संसाधनों का दुरुप्रयोग कर बिना किसी की अनुमति/आदेश के फ्रॉड करके डीफ्रिज कर 29,97,059/- रुपए की धोखाधडी की गयी थी। धोखाधडी करने वाले कर्मचारी चन्द्रेश राठौर व तारिक को नोएडा से किया गया **गिरफ्तार** है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. चन्द्रेश राठौर पुत्र अजय राठौर निवासी- जबलपुर मध्य प्रदेश
2. तारिक अनवर पुत्र स्व0 अबुल्लैश अंसारी निवासी- जिला मऊ उत्तर प्रदेश

नोटः- साइबर जागरूकता सुझाव

1. साइबर से सम्बन्धित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाईन नम्बर 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
2. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड व आधार कार्ड अपडेट करने के लिये बैंक द्वारा कोई लिंक नहीं भेजा जाता है।
3. किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर की ऐजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा उनके अधीन कार्य करने वाले अकॉउन्ट सेक्शन/ई-मेल व सर्वर आदि पर कार्य करने वाले कर्मचारीगणों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले ई-मेल, विभिन्न ट्रान्जेक्शन एवं सर्वर की समय समय पर जाँच एवं समीक्षा की जानी चाहियें एवं सर्वर की सुरक्षा से सम्बन्धित फायरवाल को मजबूत रखना चाहिय़ें।